।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.) ।।

(Naypura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@gmail.com)

क्रमांक–एफ ( )उवसं/तक./ 2017–18 1013 दिनांकः 15|8|2017

निमित्तः–

प्रयोक्ता अभिकरण,
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज)
कोटा।

विषयः–सेठ भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा के दक्षिण दिशा की ओर वन विभाग की भूमि में से 74 हैक्टयर भूमि के आवंटन चाहने हेतु।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि, आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भामाशाह कृषि उपज मण्डी के विस्तार हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव प्रेषित किये है। आप के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में खसरा मेप संलग्न नही किया गया है जिसको चाहने हेतु दिनांक 19.07.2017 को ऑन लाईन आपको भिजवाया गया था। दिनांक 09.08.2017 को आपके द्वारा पुनः प्रस्ताव ऑन लाईन इस कार्यालय को प्रेषित किये है परन्तु खसरा मेप आज दिनांक तक प्रेषित नही किया गया है।

आप द्वारा प्रस्तुत ले आउट प्लान देखने में स्पष्ट हुआ है कि, ग्राम अनन्तपुरा के खसरा नं. 286 का कुल रकबा 12.81 है0 में से 4.71 है0 एवं खसरा नं. 287 का कुल रकबा 26.75 है0 में से 15.66 है0 ही प्रत्यावर्तन हेतु चाहे गये है जबकि दोनों खसरा नं. पूर्ण रूप से कृषि उपज मण्डी में सम्मिलित होंगे। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर अवगत करावे ताकि प्रस्ताव अग्रेषित किये जा सके । खसरा नं. 284/316 से लगती हुई उत्तर दिशा की भूमि के संबंध में प्रस्तुत ले आउट प्लान में खसरा नं. नही दिया गया जिसमें उक्त भूमि वनभूमि है अथवा गैर वनभूमि है ज्ञात नही होता है।

अतः निवेदन है कि, खसरा मेप भिजवाने का कष्ट करे एवं खसरा नं. 286 एवं 287 के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करे ताकि प्रस्ताव अग्रेषित किये जा सके।

भवदीय

(एल.एस.राणावत)
उप वन संरक्षक
कोटा

E/TECHNICAL 2017/DIS.COLLECTORE 2017